न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-13RAAJodhpur2024-07RTA225 Samparaj Vs Girdhariram etc

सम्पतराज पुत्र हापूराम, जाति सुथार, निवासी- साथीन, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. गिरधारीराम पुत्र भूराराम
2. खेमाराम पुत्र जालूराम
   जतियान् जाट, निवासीगण- साथीन, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 सितंबर 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2023 गिरधारीराम बनाम खेमाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री माधवराज चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

श्री साबिर मोहम्मद, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या दो

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 20 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2023 गिरधारी राम बनाम खेमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 सितंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 15 जनवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 2128 रकबा ग्राम साधीन चक-।। तहसील पीपाड़ शहर में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2126 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए,बी,सी,डी 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितंबर 2023 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो खसरा नं. 2125 की दक्षिणी माठ से होकर से गुजरता है। रेस्पोडेंट संख्या एक उक्त रास्ते से ही गुजरता है। कानून जब किसी खातेदार के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो तो नये रास्ता का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो रास्ता दिया जा रहा है, वह किसी खेत के बीच में से तो नहीं निकल रहा है, जिससे कि खेत के दो टुकड़े हो जाये। मौजूदा मामले में जो रास्ता दिया गया है, उससे अपीलांट की खातेदारी की भूमि के दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

टुकड़े हो रहे है। इस कारण अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए की मंशा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में बहस सुनी थी। अपीलांट को बताया गया कि अब चुनाव आ गये है, इसलिए प्रार्थना पत्र पर चुनाव के बाद में सुनवाई होगी। आप चुनाव के बाद आकर मालुम कर लेना। बाद चुनाव पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि मामले में फैसला हो चुका है तथा आपके नाम डी.डी. हुई हुई है। तक अपीलांट द्वारा मालूम किया गया तो पता चला कि मामले का निस्तारण हो चुका है। तब अपीलांट द्वारा दिनांक 02.01.2024 को निर्णय हेतु नकल का आवेदन किया जो दिनांक 05.01.2024 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितंबर 2023 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघतुम एवं निकटतम रास्ता है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में भी अपीलाधीन रास्ते का लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। मौका रिपोर्ट में बताया गया अन्य विकल्प राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है तथा उक्त विकल्प अपीलाधीन रास्ते से अत्यंत लंबा है जो धारा 251-ए की मंशा के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रतिकर राशि भी जमा करवायी जा चुकी है तथा रेस्पोडेंट संख्या दो द्वारा प्रतिकर राशि प्राप्त की जा चुकी है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के विंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 25.07.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर रास्ता मार्क ई.एफ.जी.एच.आई.जे. उपलब्ध है, जिसका उपयोग रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वर्तमान में किया जाना बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेंट संख्या के आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 2126 की सीमा के सहारे-सहारे रास्ता न देकर उसके खेत के बीच में से रास्ता प्रदान किया गया है, जिससे अपीलांट की खातेदारी भूमि दो असमान भागों में विभाजित हो रही है जो धारा 251-ए की मंशा के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की जांच किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2023 गिरधारी राम बनाम खेमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 सितंबर 2023 खारिज किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी विकल्पों की उभय पक्ष की उपस्थिति में जांच रिपोर्ट तलब करे। प्राप्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर